

प्रति,

लेखा अधिकारी,
राजभवन, म.प्र.

विषय:- राज्यपाल (भत्ते तथा विशेषधिकार) नियम 1987 के तहत विद्युत एवं जलकर देयकों की सवा छः प्रतिशत (5%+1.23%) की सीमा में प्रतिपूर्ति।

विषयांतर्गत प्रतिपूर्ति बावत् निम्नानुसार मूल देयक सत्यापनोरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. देयक माह (Bill Month) :
2. देयक तिथि (Bill Date) :
3. उपभोक्ता नाम (Cons. Name) :
4. शासकीय आवास क्रमांक व पता :
5. देयक राशि (Bill Amount) :
6. भुगतान तिथि (Pay Date) :

हस्ताक्षर व तिथि